FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला–झालावाड़ (राज.)

बालमुकुन्द बनाम किशन लाल

किस्म मुकदमा दावा नं. 54 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
04/18/22	दावा पेश हुआ, जिसे दर्ज रजि० कर प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब कर पत्रावली दि 18/5/22 को पेश हो।	
18/5/22	पत्रावली पेश हुई वकील अपपक्ष अपीलान्ट प्र.क्र. 1, 2, 4 की ओर से एड.वी महेन्द्र सिंह जैन ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण को समन तामिल होकर प्राप्त हुये जो शामिल किये गये। वादी गण अधिवक्ता नहीं कोर्ट में पधारे हैं। पत्रावली दिनांक 29/6/22 को पेश हो।	
23/5/22	पत्रावली वादी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने के तलब की गई। प्रार्थी अधि[illegible] नहीं चाहकर प्रकरण [illegible] करवाना चाहते हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण NOT PRESS में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	Not pres बालमुकुन्द किशनलाल 23/5/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.05.23 17:37:56 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना),
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

Technova HouaDom UMR 1707912560 0415817 0754